UPRVUNL

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 733 / मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2011–15–मा0सं0(04)/2009 दिनॉक 14 जून, 2011

कार्यालय ज्ञाप

निगम ज्ञाप सं0: 54/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2010–15–मा0सं0(04)/2009 दिनांक 19.01.2010 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन किये जाने वाले ऐसे कार्यो जिनकी लागत रू0 5,00,000 लाख (रू0 पॉच लाख मात्र) तक है, के सम्पादन हेतु आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक कार्यकारी खण्ड के कुल कार्यों में 21 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित किये जाने हेतु की व्यवस्था के आदेश किये गये थे।

2. एतद्द्वारा रू0 5,00,000 लाख (रू0 पॉच लाख मात्र) की सीमा को संशोधित कर बढ़ा कर रू0 25,00,000 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) किया जाता है। उक्त ज्ञाप के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।
3. प्रत्येक कार्यकारी खण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में उचित अभिलेख का रखरखाव किया जायेगा।
4. ऐसी निविदाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों की परिभाषा शासनादेश सं0 2057/23–7–09–25(सा0)/2009 दिनांक 30.06.2009 एवं संख्या 425/23–7--2010--25(सा0)/2009 दिनांक 29.01.2010 एवं समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार रहेंगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को शासन/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसी निविदाओं में अनुभव एवं आर्थिक सम्बलता की शर्तों में निम्न सीमा तक शिथिलता प्रदान की जाती है:–

   (क) तकनीकी कार्य हेतु आरक्षित निविदाओं में मात्र तकनीकी कार्यों के अनुभव की अनिवार्यता होगी एवं आर्थिक सम्बलता की शर्त में 50 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी।

   (ख) गैर तकनीकी निविदाओं (सफाई, बागवानी इत्यादि) में अनुभव सम्बलता की शर्त में छूट होगी।
6. यह आदेश निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में किये जा रहे हैं तथा उक्त वर्णित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेंगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 733 (1) मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।

कृ0प0उ0

2. निदेशक (तकनीकी / वित्त / कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक / महा प्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी ताप विद्युत गृह / मा0सं0 / वित्त / लेखा / पी0पी0एम0एम0 / पर्यावरण एवं सुरक्षा / तापीय परिचालन / ईधन / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा(सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / पनकी (कानपुर) / लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. उप महाप्रबन्धक / अधी0अभि0 (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / (चिकित्सा / औ0सं0 / रिफार्म / टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन / विस्तार, लखनऊ ।
6. समस्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / अनु सचिव, (मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

15/6/11

(एस0सी0 खरे)

उप सचिव (मा0सं0–04)